

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-4017/2024 श्र0सं0- 833

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
रोहतास/कटिहार/भागलपुर/नवादा/पूर्णियाँ/पश्चिम चम्पारण, बेतिया एवं सिवान।

पटना, दिनांक- 13/02/25

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230- श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

3. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए अनुदान की राशि रुपये ₹ 1,00,000/- एवं ₹ 2,00,000/- प्रति आश्रित की दर से विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	अधियाचित राशि (₹)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	रोहतास	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, रोहतास के ज्ञापांक-37, दिनांक-11.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 सरिता देवी, पति-कुंडल कुमार सिंह उर्फ कुंडल चौधरी, आश्रित-कुंडल कुमार सिंह उर्फ कुंडल चौधरी (पति), ग्राम-औरईआं, पो0-पड़री, थाना-शिवसागर, जिला-रोहतास।
2	कटिहार	01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक-109, दिनांक-25.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मो० अशफाक, पिता-मो० फरमान, आश्रित-मो० फरमान (पिता), ग्राम-सिहपुर, पंचायत-कमरा, पो0-माधोपुर, थाना+प्रखण्ड-बलरामपुर, जिला-कटिहार।
3	भागलपुर	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, भागलपुर के ज्ञापांक-126, दिनांक-20.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मो० नौशाद, पिता-मो० कुरबन आश्रित-जरीना खातून (पत्नी), ग्राम-बिहपुर जमालपुर, थाना+प्रखण्ड-बिहपुर, जिला-भागलपुर।

(8)

4	नवादा	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-73, दिनांक-20.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राजन कुमार, पिता-संजय लाल, आश्रित-उमा देवी (माता), ग्राम-सिदेश्वरपुर गांधी नगर, पो०+थाना-नवादा, प्रखण्ड-नवादा सदर, जिला-नवादा।
5	पूर्णियाँ	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक-209, दिनांक-18.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० आलम किशोर ठाकुर, पिता-बालेश्वर ठाकुर, आश्रित-राबरी कुमारी (पत्नी), ग्राम-मझुआ, वार्ड नं०-17, पो०+पंचायत-मझुआ प्रेमराज, थाना-सरसी, प्रखण्ड-बनमनखी, जिला-पूर्णियाँ।
6	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के ज्ञापांक-95, दिनांक-27.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० राजु कुमार, आश्रित-सुगांती देवी (पत्नी), ग्राम-फुलवारी, वार्ड संख्या०-02, पो०-अमवामझार, थाना-मुफस्लि, प्रखण्ड-मझौलिया, जिला-पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।

4. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए अनुदान की राशि रुपये ₹1,00,000/- एवं ₹ 2,00,000/- प्रति आश्रित की दर से विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० स०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	अधियाचित राशि (₹)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	सिवान	01	1,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक-123, दिनांक-23.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० अंजय प्रसाद, पिता-स्व० देवनंदन प्रसाद, आश्रित-शैल देवी (पत्नी), ग्राम+पो०-बकुलारी, थाना+प्रखण्ड-गुठनी, जिला-सिवान।
2	पश्चिम चम्पारण, बेतिया	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-94, दिनांक-27.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० जितेन्द्र राम, आश्रित-अनिता देवी (पत्नी), ग्राम+पो०-शेरवा मस्जिदवा, वार्ड नं०-14, थाना-मटियरिया, प्रखण्ड-गौनाहा, जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया।
3	रोहतास	01	2,00,000 / -	जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-36, दिनांक-11.01.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० श्याम बिहारी राम, पिता-स्व० तेदू राम, आश्रित-सहोदरा देवी (पत्नी), ग्राम-अरंग, पो०-बसडिहॉ, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास।

5. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3060, दिनांक-11.06.2024 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र, प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

6. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने कि कृपा की जाय।



7. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
8. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
9. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब सक्षम पदाधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
10. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
11. आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्ही मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
12. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
13. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

13/02/25
मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 6/एफ1-4017/24 श्र0सं0- 833

पटना, दिनांक- 13/02/25

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

विश्वासभाजन

13/02/25
मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,
बिहार, पटना।